बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग
आदेश

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–4220 (भ) अनु० दिनांक–11.05.2026 से संवेदक MK Infrabuild Ventures India Private Limited, Behind Lalita Hotel, East Boring Canal Road, Patna- 800001 (Reg. No.-1250012 RCD Class-1) द्वारा (i) Construction of Faculty/Staff Quarter in Govt. Polytechnic College, Dist-Gopalganj (with electrical), NIT-08, Tender ID-102363 एवं (ii) Construction of Administrative Building (G+5) at Collectorate Campus Chapra in district Saran for the year 2024-25, Tender ID-95389 के निर्माण कार्य में प्रकाशित निविदा में फर्जी कागजात अपलोड करने के कारण निलंबित करने की अनुशंसा की गई।

भवन निर्माण विभाग के पत्रांक–4220 (भ) अनु० दिनांक–11.05.2026 के साथ संलग्न ज्ञापांक–3214 दिनांक–11.08.2025 से निर्गत विभागीय निविदा समिति की दिनांक–11.08.2025 की कार्यवाही की कंडिका–14 की उपकंडिका–(iii) के अनुसार **"MK Infrabuild Ventures India Private Limited, Behind Lalita Hotel, East Boring Canal Road, Patna- 800001 Dist-Patna के द्वारा अपलोड किये गये कागजातों का तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा समीक्षा की गयी। समिति द्वारा जाँचोपरान्त पाया गया कि निविदाकार द्वारा समिर्पित M/s Aaradhya Enterprises का Tools and Plant का Affidavit के साथ Tax Invoice को संलग्न किया गया है। लेकिन इस कार्यालय के पत्रांक–3023 अनु० दिनांक–28.07.2025 के द्वारा M/s Aaradhya Enterprises से सत्यापन कराया गया। सत्यापन के क्रम में M/s Aaradhya Enterprises के पत्रांक–AE/25/2026 दिनांक–29.07.2025 द्वारा बताया गया कि MK Infrabuild Ventures India Private Limited के द्वारा बेबुनियाद एवं फर्जी Tools and Plant का Affidavit के साथ Tax Invoice संलग्न किया गया है।"**

उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक–3709 (E)We दिनांक–04.06.2026 द्वारा संवेदक MK Infrabuild Ventures India Private Limited, Behind Lalita Hotel, East Boring Canal Road, Patna- 800001 से स्पष्टीकरण की माँग की गई। संवेदक से स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने एवं भवन निर्माण से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में संवेदक MK Infrabuild Ventures India Private Limited, Behind Lalita Hotel, East Boring Canal Road, Patna- 800001(Reg. No.-1250012 RCD Class-1) को बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम–11 (क)(vii) एवं विभागीय कार्यालय आदेश सं0–154 सहपठित ज्ञापांक–5403 (S) दिनांक–18.06.2015 की कंडिका–8(4) के प्रावधानों के तहत 10 (दस) वर्षों के लिए कालीकृत किया गया।

उक्त कालीकरण आदेश के विरूद्ध संवेदक द्वारा अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें संवेदक द्वारा उल्लेख किया गया है कि स्पष्टीकरण हेतु दिए गए समय सीमा के अंतिम दिन दिनांक–19.06.2026 को उनके द्वारा ई–मेल से अपना पक्ष रखते हुए कागजातों की माँग की गई तथा इसका Hard Copy भी दिनांक–22.06.2026 को कार्यालय में समर्पित किया गया, परन्तु उनका पक्ष सुने बिना ही कालीकृत करने का आदेश निर्गत कर दिया गया।

उपरोक्त अपील अभ्यावेदन की सुनवाई दिनांक–03.07.2026 को की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि MK Infrabuild Ventures India Private Limited, Behind Lalita Hotel, East Boring Canal

Road, Patna- 800001(Reg. No.-1250012 RCD Class-1) द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा नहीं हुई है अर्थात् संवेदक को Fair Opportunity प्राप्त नहीं हो सका है।

उक्त के आलोक में संवेदक MK Infrabuild Ventures India Private Limited, Behind Lalita Hotel, East Boring Canal Road, Patna- 800001(Reg. No.-1250012 RCD Class-1) को कालीकृत किए जाने संबंधी विभागीय कार्यालय आदेश ज्ञापांक–4203 (E) दिनांक–22.06.2026 को निरस्त किया जाता है।

ह०/–
सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– प्र०–7 / कार्रवाई–05–16 / 2025– 4469(E) / पटना, दिनांक 6.7.26

Speed Post
E-mail

प्रतिलिपि :– संवेदक MK Infrabuild Ventures India Private Limited, Behind Lalita Hotel, East Boring Canal Road, Patna- 800001, E-mail ID-kumarmk08@gmail.com, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।